न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड जिला अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2015

1.कालू पुत्र मूला जाति जाट
2.रामदयाल पुत्र मूला जाति जाट
3.शिवराज पुत्र मूला जाति जाट
निवासीगण सोयला तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1.राधाकिशन उर्फ सत्यनारायण पुत्र माधू जाति बैरवा
2.श्रवण पुत्र राधाकिशन जाति बैरवा
3.श्रीमति धापू पत्नि उगमा जाति बैरवा
4.नंदा पुत्र नाथू जाति जाट
समस्त निवासीगण सोयला तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

——अप्रार्थीगण

अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम

उपस्थित :–श्री पी.एल.जाट –वकील प्रार्थी
श्री रमेश बंसल – वकील अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 21.12.17

वादीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट का पेश किया तथा उसकें साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सोयला तहसील सरवाड़ की जमाबंदी संवत् 2067–70 में. निम्न वर्णित आराजीयात स्थित है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 की संयुक्त खातेदारी मे है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
66–53	1189/707	01.13.00	बा.3
68–199	707	00.03.00	बा.3

प्रार्थीगण का 1/2 हिस्से से दर्ज है। तथा अप्रार्थी संख्या 4 नंदा वल्द नाथू जाट के 1/2 हिस्से से दर्ज है। एवं खसरा नम्बर 707 प्रार्थीगण के पिता मूला पिता हीरा व अप्रार्थी संख्या 4 नंदा वल्द नाथू जाट के 1/2 हिस्से से दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता मूला जी की मृत्यु हो चुकी है तथा माता श्रीमति नंदू की भी मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण ही स्वर्गीय नन्दू व मूला जी की संतान होकर उनके वारिस काबिज जायदाद है। उपरोक्त आराजी ग्राम सोयला मे आबादी से लगवा है एवम् काफी कीमती है। प्रार्थीगण काश्तकार व्यक्ति है। उक्त आराजी मे प्रार्थीगण ने अपनी कृषि पैदावार व कृषि यंन्त्र रखने हेतु मकान भी बना रखा है तथा अपनी मवेशियों को भी उक्त आराजी मे अपने हिस्से मे बांधते है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की नियत बद है एवं वे ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण को उनकी प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात से बेदखल कर अपना नाजायज रूप से कब्जा आधिपत्य करने पर आमादा है एवं यह रवैया इन्होने दिनांक 28.3.15 से कर रखा है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने खुले आम गाली गलोच करते हुए कहा कि उपरोक्त वर्णित खेतो पर हम हमारे मकान व बाड़े बनायेगे तथा तुम्हे बेदखल करके रहेगे तथा हमारे खिलाफ कहीं भी कार्यवाही करने की कौशिश की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा । एस.सी.एस.टी. का केस लगाकर या औरतो से केस लगाकर बर्बाद कर देगे । तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को ऐसा न करने का निवेदन किया तो वे नही माने एवं गाली गलोच से पेश आये एवं लड़ाई–झगड़ा पर आमादा हो गये ,तथा प्रार्थीगण को कहा कि अब हम वादवर्णित खेतो पर कब्जा करके रहेगे तथा मकान व बाड़े बनायेगे। जिससे

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एक ही जाति के है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 जो माधू का पुत्र है बहुत ही शातिर है ,अपने आपको उगमा का पुत्र बताते हुए अप्रार्थी संख्या 3 को बहला फुसला कर एवं उसे आगे कर आम आदमी को डराते धमकाते है एवं इन्होने नाजायज गिरोह बना रखा है , एवं वे जबरन लाठी व ताकत के बल पर प्रार्थीगण की वाद वर्णित अपने संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर अपना कब्जा आधिपत्य करने ,मकान बाड़े इत्यादि बनाने मे सफल हो जाते है,तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्तियुक्त क्षति होगी। व बहुवाद कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। जिससे न्यायहित मे अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को ऐसा न करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 4 भूमि का सहखातेदार है जो कि वाद मे आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है,एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दिनांक 15.4.15 को स्वयं उपस्थित हुए किन्तु बाद मे अनुपस्थित रहने पर दिनांक 5.5.15 को प्रार्थीगण के पक्ष मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रसारित किया गया। दिनांक 25.5.15 को न्याय आपके द्वार अभियान् 2015 मे पक्षकारान् को राजीनामा हेतु तलब किया गया तथा कैम्प बरोल मे समझाईश की गई किन्तु पक्षकारान् मे राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रखी गयी । अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया ,जिसमे कथन किया कि आराजी वादवर्णित मे प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है वरन् अप्रार्थीगण के बाड़े करीबन् 200 वर्षो से बने हुए है ,प्रार्थीगण 1 लगायत 3 के पूर्वजों ने आराजी वादवर्णित अप्रार्थीगण को मौखिक दे रखी थी किन्तु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दो दिन पूर्व ही अप्रार्थी वृद्धा को मारपीट ,अपमानित करते हुए जबरना ट्रेक्टर से कुचलने का प्रयास किया और जिसके कारण अप्रार्थीगण अपनी जान बचाकर वहॉ से भाग गये जिसकी शिकायत अप्रार्थीगणों ने बोराड़ा थाना पर की। प्रार्थीगण ने दावा करने से पूर्व अपना कब्जा सिद्ध करने हेतु जबरन अपना सामान अपने बाहुबल एवं बदगत से किया जिसकी शिकायत पुलिस थाना बोराड़ा मे प्रार्थीगणों द्वारा अप्रार्थीगण का कब्जा हटाकर खुद का सामान अपने बाहुबल से डालने की शिकायत उप पुलिस अधीक्षक वृत किशनगढ़ से की जिस पर न्यायालय के माध्यम से थाना बोराड़ा मे प्रकरण की जॉच चल रही है। उक्त प्रकरण मे श्रीमान् न्यायालय को विचारण किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर बहस पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री पी.एल.जाट ने बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि ग्राम सोयला की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 संयुक्त खातेदार है तथा उनका कब्जा चला आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का इस आराजी से कोई लेना–देना नही है। आराजी प्रश्नगत ग्राम सोयला की आबादी के लगवा होने से बेशकीमती है अप्रार्थीगण इस आराजी पर बदनीयत रखते है तथा मकान बाड़ा बनाकर कब्जा करना चाहते है न्यायालय श्रीमान् द्वारा जवाब पेश होने तक अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत हो चुका है। प्रश्नगत आराजी से अप्रार्थीगण का कोई लेना–देना नही है ,उनकी अजनबी की हैसियत है। अतः अप्रार्थीगण व उनके रिश्तेदारान् नौकर'–चाकर इत्यादि को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 मे वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त ,उपयोग,उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पहुॅचाने उस पर कब्जा करने इत्यादि से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे व ऐसा कोई कार्य करने से रोका जावे जिससे प्रार्थीगण वादवर्णित आराजी के उपयोग, उपभोग व कब्जे काश्त से वंचित हो। अप्रार्थीगण के लायक वकील श्री रमेश बंसल ने लिखित बहस प्रस्तुत की , जिसमे बताया कि प्रश्नगत कृषि भूमि सोयला तहसील सरवाड़ प्रार्थी के कब्जे काश्त की नही है। प्रार्थीगण का आराजी पर कब्जा नही है प्रार्थीगण 1 से 3 के पूर्वजों ने उक्त भूमि अप्रार्थीगण को मौखिक दे रखी थी और इस पर अप्रार्थीगण 200 वर्षो से काबिज थे तथा वर्तमान मे भी काबिज

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

है। किन्तु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दो दिन पूर्व ही अप्रार्थी श्रीमति धापू देवी जो कि वृद्ध एंव दलित महिला है जिसको प्रार्थीगण द्वारा मारपीट,अपमानित करते हुए जबरन ट्रेक्टर से कुचलने का प्रयास किया और जिसके कारण अप्रार्थीगण अपनी जान बचाने के लिए वहॉ से भाग गये जिसकी शिकायत अप्रार्थीगणो ने थाने मे की है। व जरिये न्यायालय जॉच उप पुलिस अधीक्षक वृत किशनगढ़ व थाना बोराड़ा मे विचाराधीन चल रही है ,इस भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा कई वर्षो से चला आ रहा है तथा 33 परिवार भी काबिज है। अतः उक्त काबिज 33 परिवारो का विचारण किया जावे कि ये परिवार इस आराजी पर किस हैसियत से काबिज है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थीगण के लायक वकील ने रिजोइन्डर प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण का कथन कपोल कल्पित है। आराजी वादवर्णित आबादी नही है प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी है यदि प्रश्नगत आराजी मे 200 वर्षो से मकान –बाड़े निर्मित होते तो अवश्य ही आबादी मे दर्ज हो गयी होती। प्रार्थीगण के पूर्वजों ने इन्हे दी हो तो दस्तावेज पेश करे किन्तु इन्होने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। फौजदारी न्यायालय या कार्यवाही का प्रभाव राजस्व न्यायालय मे नहीं पड़ता है। अतः इनके द्वारा कोई मुकदमा थाना बोराड़ा मे करवाया है या सिविल न्यायालय मे प्रकरण पेश किया है,इस बात का हस्तगत प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे द्वारा वकील पक्षकारान् की बहस पर गौर किया पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादवर्णित आराजी मे हक अधिकार का प्रश्न दस्तावेजात व शहादत के आधार पर मूल वाद मे तय होगा। इस न्यायालय को अभी केवल यह देखना है कि प्रार्थीगण–अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है अथवा नही ? अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनो सारभूत बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष मे साबित कर पा रहे है अथवा नही ?

1–**प्रथम दृष्टया केस** :–ग्राम सोयला की जमाबंदी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 66–53 मे दर्ज प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण व उसकी माता की खातेदारी मे दर्ज है व उनकी माता जिसकी मृत्यु हो चुकी है की व अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। अप्रार्थीगण का इस आराजी से कोई लेना–देना नही है। उनकी हैसियत अजनबी की है। अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस साबित होता है।

2–**सुविधा का संतुलनः**–प्रार्थीगण आराजी वादवर्णित के रिकार्डेड खातेदार है उनका कब्जा काश्त होना गिरदावरी से साबित है। अप्रार्थीगण का आराजी वादवर्णित से कोई लेना–देना सिद्ध नही हो रहा है। वाद वर्णित आराजी मे अप्रार्थीगण की हैसियत अजनबी की है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे पाया जाता है।

3–**अपूर्णनीय क्षति** :–प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार जमाबंदी मे दर्ज है। अप्रार्थीगण के लायक वकील ने प्रश्नगत आराजी मे कबिज 33 परिवारों की सूची प्रस्तुत की है जिनके इसआराजी पर मकान बाड़े बनाये गये बताये है किन्तु इस पर सरपंच/ ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थीगणो द्वारा पुलिस मे दी गई रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों मे बाड़े की नीवं को लेकर लड़ाई–झगड़ा होना पाया गया है किन्तु प्रश्नगत आराजी का खसरा नम्बर रिपोर्ट मे अंकित नही है। अतः अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनो आवश्यक बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है। अतः अप्रार्थीगण व उनके रिश्तेदारान्,नौकर–चाकर इत्यादि को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 मे वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त उपयोग,उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पहुॅचाने उस पर कब्जा करने,नवीन रास्ता कायम करने ,भूमि को नष्ट–भ्रष्ट करने इत्यादि से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है । यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नही करता है । हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद मे तय होगा । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे ।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ.सूरजसिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी सरवाड़

Scanned by CamScanner